



ज्ञान शांति मैत्री



आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

महात्मागांधीअंतरराष्ट्रीय हिंदीविश्वविद्यालय  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारापारितअधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गतस्थापितकेन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. अवधेश कुमार  
Prof. Avadhesh Kumar  
अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण  
Dean, Student Welfare

क्रमांक : 112/सा.प./2025-26/05  
दिनांक : 30.04.2026


241  
241

## सूचना

समस्त अंतेवासियों को अवगत कराया जाता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि ग्रीष्मावकाश (06 मई, 2026 से 18 जून, 2026 तक) की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रावासों को (शोधार्थियों हेतु निर्धारित छात्रावासों/कक्षों को छोड़कर) अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा तथा छात्रावासों के मेस संचालन को भी इस अवधि में बंद रखा जाएगा।

इस संबंध में सभी अंतेवासियों (शोधार्थियों हेतु निर्धारित छात्रावासों/कक्षों को छोड़कर) को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 06 मई, 2026 तक अपने-अपने कक्ष अनिवार्य रूप से रिक्त कर दें। निर्धारित तिथि के पश्चात छात्रावास में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। किसी विशेष परिस्थिति में ठहरने हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जाता है।

  
30/4/26  
(प्रो. अवधेश कुमार)

### प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. माननीय कुलपति सचिवालय
2. कुलसचिव (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु)
3. कुलानुशासक
4. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
5. समस्त छात्रावास अधीक्षक
6. मेस प्रबंधक
7. सुरक्षा अधिकारी
8. रक्षित पत्रावली